

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप-६ विभाग

प्रेषित :- १। समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
२। समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
३। निबन्धक, राजस्व मण्डल, अंजमेर ।

क्रमांक:- प.५६६ राज-६/९८

जयपुर, दिनांक:- २९-५-९८

विषय:- राजस्थान जर्मिंदारों द्वारा विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५७ के तहत जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

राजस्थान जर्मिंदारों संबंधीय विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५७ की धारा ॥ में जिला कलेक्टर को छुटकाशत भूमि के आवंटन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उक्त अधिनियम में जिला कलेक्टर को परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु काश्तकारी अधिनियम, १९५५ की परिभाषाएँ इस अधिनियम के प्रयोगनार्थ लागू होती हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दी गयी जिला कलेक्टर की परिभाषा के अनुसार जिला कलेक्टर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी सम्मिलित है।

अतः राजस्थान जर्मिंदारी संबंधीय विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५७ को धारा-॥ में छुटकाशत भूमि के आवंटन के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटन की उक्त शक्तियाँ जिला कलेक्टर के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर हारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं।

भवदीय,

१ के० पौ० रिंगल
शासन उप सचिव

मनोज